

Handwritten signature



प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति अधीनस्थ अधिकारियों को दिनांकी गयी। अधीनस्थों की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का जवाब पेश नहीं किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 में उभयपक्ष अधिकारियों की सहस्र सूची गयी। प्रार्थी निंदल सॉ लिमि. पुर के अधिकारियों ने अपनी सहस्र से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 स्थित प्रकिया सहित से अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि अधीनस्थों द्वारा एस.डी.ओ. माण्डलगत के प्रकरण संख्या 10/71 सरकार बन्द सिंह के विरुद्ध बनी स्थिति कार्यवाही के निर्णय को धारा 23 अधिकांशी द्वारा बन्द सिंह के विरुद्ध बनी स्थिति कार्यवाही के निर्णय को धारा 23 स्थिति पत्र, 1973 के अंतर्गत प्रस्तावत बनाया है। अधीनस्थों द्वारा अधीनस्थों में दर्ज किये गये अभिवर्तनों से स्पष्ट है, कि उपरोक्त अधिकारी माण्डलगत द्वारा सन् 1971 में पारित बन्द सिंह के विरुद्ध स्थिति कार्यवाही के निर्णय को स्थिति पत्र 1973 के अंतर्गत प्रस्तावत बनाया है जो कि विहित: पौषणीय नहीं है, क्योंकि उक्त स्थिति पत्र 1973 एस.डी.ओ. द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.09.1971 के समय अस्तित्व में ही नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि अधीनस्थों ने विधि की व्यवस्था का दुरुपयोग करते हुए वर्तमान अधीनस्थ को है, जिस खरिज करने से भिन्न अन्य कोई विकल्प विद्यमान नहीं है। अधीनस्थों द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ की व्यवस्था के अनुसार चलने योग्य ही नहीं है और माननीय न्यायालय को भी विहित: श्रवणाधिकारिता हासिल नहीं है। इसी प्रकार अधीनस्थों को वर्तमान अधीनस्थ करने का कोई Locus-Standi हासिल नहीं है। अतः आवदन प्रत्यक्ष स्वीकार किया जाकर अधीनस्थों द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ खरिज किये जाने की आज्ञा प्रदान करें। प्रार्थी निंदल सॉ लिमि. पुर, श्रीलंका के अधिकारियों ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के समर्थन में विधिक दृष्टान्त आर आर डी 1988 धीपी 160, आर आर डी 1991 धीपी 257 + 435, आर आर डी 1992 धीपी 435, आर आर डी 1992 धीपी 139, आर आर डी 1990 धीपी 638 + 639, स्थिति पत्र एस.डी.ओ. हासिल पत्र 1973 (से. 23-11बी, से. 19, से. 21), (2010) 4-एस सी सी धीपी 728, 2018-19 (एस.ओ.आर आर डी धीपी 581, (2014) 11-एस सी सी धीपी 619, सीपीसी संवदन 141-151, आर आर डी 1985 धीपी 170, नेट कोपी ऑफ जजमेण्ट ए आई आर 1994 संवदन 853, नेट कोपी ऑफ जजमेण्ट ऑफ मान. सुप्रीम कोर्ट स्थित अधीन नं. 9488-9489 निर्णय दिनांक 17.12.2019, (2016) 3 डीएनजे-राज. धीपी 146, आर आर डी 1997 धीपी 197+481, (2009) 1 डीएनजे (राज.) धीपी 410, 2018 (3) आर एल डब्ल्यू धीपी 2097 पेश किये हैं।

विपक्षी/अधीनस्थों अधिकारियों ने सहस्र से बताया कि रेस्पॉण्डेंट संख्या 03 द्वारा प्रस्तुत आदेश 07 नियम 11 जा.डी. का प्रार्थना पत्र केवल मान वादपत्र में लगाता है, वादपत्र के अलावा अन्य किसी भी प्रकार से आदेश 7 नियम 11 पौषणीय नहीं है। जैसे कि सी पी सी 1908 पत्र 109 से स्पष्ट अंकित कर रखा है। वादपत्र का नामांतर किया जाना एवं आदेश 7 नियम 11 क.ख, ग, घ, ङ, च से कहीं भी अधीनस्थ अंकित नहीं है। केवल वाद या दावा अंकित है। रेस्पॉण्डेंट ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि नये स्थिति पत्र के तहत अधीनस्थ करने का अधिकार नहीं है। इस संबंध में निवेदन है कि

श्री. जिला कलेक्टर
श्री. जिला कलेक्टर
श्री. जिला कलेक्टर

धारा 19 अर्थात् के लिए यात्रा का अवधारणा :- (1) राज्य सरकार धारा 16 के अधीन
होगी।

अन्तिम विवरण पत्र के संबंध में इस अधिनियम में अन्य समस्त प्रावधान उस पर लागू
एवं प्रकाशित किया जाएगा। धारा 13 के अधीन एक एक अन्तिम विवरण पत्र तथा
विवरण पत्र तैयार करेगा जो धारा 13 में प्रवर्तित किये गये तरीके से तामील किया जाएगा
विवरण पत्र पर आपत्तियों के बारे में विनिश्चय करेगा और तब वह एक एक अन्तिम
की गयी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। इसके बाद वह एक आदेश द्वारा उस एक प्रकृत
इष्ट विवरण पत्र को तैयार करने एवं उसकी तामील करने के लिए धारा 12 में प्रवर्तित
के बाद, एक विवरण पत्र के आधार पर एक एक इष्ट विवरण पत्र तैयार करेगा तथा उस
विवरण पत्र की जाती है, जो प्राधिकृत अधिकारी, ऐसी जांच जो वह उचित समझे, करने
धारा 11 ख की उप धारा (3) :- यदि अन्तिम विवरण पत्र तैयार हो जाने के बाद एक एक
भीतर, उस विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध संबंधित जिले के कलेक्टर को अपील करेगा।

असन्विष्ट राज्य सरकार या कोई व्यक्ति, विनिश्चय या आदेश की तारीख से 30 दिन के
अधीन या धारा 21 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के किसी विनिश्चय या आदेश से
अपील :- (1) धारा 11 ख की उप धारा (3) के अधीन या धारा 19 की उप धारा (3) के
जबकि धारा 23 स्थिति एक अनुसार -

निर्णय को धारा 23 स्थिति एक, 1973 के अन्तर्गत प्रहनात बनाया है।
अपीलाधीन ने उपखण्ड अधिकारी द्वारा बंद सिद्ध के विरुद्ध यही स्थिति कार्यवाही के
दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि
उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व

बाह्यता का रोका जा सकता है।
है कि न्यायहित में न्यायालय में अन्तर्निहित शक्तियों को उपयोग किया जाकर बाद
अनुपूर्वक कार्यवाही पर भी लागू होते हैं। इसी प्रकार धारा 151 सी पी सी में भी प्रावधान
141 सी पी सी में प्रावधान है कि जो नियम दवा पर लागू होते हैं, वे ही नियम प्रकरण में
नियम 11 के प्रावधान केवल मात्र दवा पर लागू होते हैं। जबकि ऐसा नहीं होकर धारा
ने विदल (खुलन) में बताया कि विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि आदेश 7
विपक्षी / अपीलाधीन की बहस उपरान्त प्रार्थी जिनदल श्री सि. के अधिवक्ता

175, आर टी 2016(2) पृ 971 किये।
597, 2020 डीएनजे (रे.वे.) 33, 2020 डीएनजे (रे.वे.) 34, 2016-17 (सप.) आर आर टी
सहित 1908 पृ नं. 109, 2021 (1) आर आर टी 145, 2008(1) आर आर टी 597 पृ नं
जाने का आदेश प्रदान करा। अपीलाधीन अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त स्थिति प्रक्रिया
समिति धारा 151 जा.टी. का प्रथम दृष्टया विधि में पौषणीय नहीं होने से खारिज किया
निवेदन है कि रेस्पॉडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.टी.
पेश करेगा, नये कानून के तहत अपील पेश करने के संबंध में कोई न्यायिक दृष्टान्त है।
पक्षकार अपील पेश करने के समय जो कानून (विधि) प्रचलन में है, उसी के तहत अपील
जब पुराना एकट समाप्त कर उसके स्थान पर नया एकट प्रभाव में आता है, तो व्यक्ति



श्री. राजेश गोयल
 (श्री. राजेश गोयल)
 श्री. राजेश गोयल

[Handwritten signature]



हस्ताक्षर खूले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 09.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद

की जाती है।

151 स्थित प्रकिया सहित स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज पास पुर, भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं सपलित द्वारा है। उपरोक्त विवेचन अर्जसार विपक्षी संख्या 03/प्रार्थी निन्दल सी लि. तिरंगा पहाड़ी के बाहुल्यता को बढ़ावा दिया है, जिसमें द्वारा 151 सी पी सी की स्पष्ट उल्लेखना प्रतीत होती प्रस्तुत कर रखा है, जो न्यायालय में जैकर है। इस प्रकार अपीलार्थी ने न्यायालय में बाद अतिनियम के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोर्ट में प्रकरण संख्या 51/2020 से वर्त में संबंधित अपीलार्थी ने एक बाद अंतर्गत द्वारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अन्तरिती को द्वारा 23 में अपीलार्थी अधिकार नहीं है। साथ ही अपीलार्थी प्रकरण की विषय नहीं होती है। अपीलार्थी प्रकरण में अन्तरिती है तथा विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों के अर्जसार जबकि द्वारा 23 में जो प्राधान अंकित है, उसके अर्जसार यह अपील द्वारा 23 में कवर प्रकरण संख्या 10/71 अन्तर्गत स्थिति एक्ट में पारित निर्णय के विरुद्ध अपील पेश की है, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ के आवंटित की जायी।

तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो निहित की जाए, प्राथमिकता के आधार पर एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में उस प्राधिकारी द्वारा, ऐसे तरीके से, ऐसी सीमा तक हो, आरक्षित रखने के बाद उस गांव के भूमिहीन श्रमिकों में विशेष कर अनुसूचित जाति जनसंख्या के कल्याण एवं क्षेत्र के आर्थिक विकास के प्रयोजनों के लिए निर्देशित की गयी सरकार में निहित अधिरोष भूमि, अधिरोष भूमि के ऐसे क्षेत्र को जो कृषि की उन्नति कृषि द्वारा 21 भूमिहीन व्यक्तियों को निहित भूमि का आवंटन :- द्वारा 16 के अधीन राज्य भूमि स्थित है।

माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उस तहसीलदार को भेजा जिसमें निहित की गयी जो राज्य सरकार में निहित हुआ है, उसके वर्गीकरण एवं सुधार की शर्तों के बारे में एक व्यौरों की सत्यता या अन्यथा के बारे में तथ्य विशेष रूप से उस भूमि के क्षेत्र के बारे में प्राधिकृत अधिकारी - (क) उस विवरण पत्र की एक प्रति उस विवरण पत्र में दिये गये (3) उप द्वारा 2 के अधीन आवंटित की राशि के लिए कब्रों के विवरण पत्र की प्राप्ति पर, विवरण पत्र की तामील की गयी है, भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होंगे।

उसमें निहित समस्त भूमि के लिए आवंटित की राशि का उस व्यक्त को, जिसे अन्तिम